जा.क्र.विप्र.२/राअसुअ/प्र.क्र./२८/१२
कृषि आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य,साखर संकुल
पुणे-४११००५ **दिनांक : ०३/०५/२०१२.**

**प्रति,**

**जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी**
**नाशिक / पुणे / भंडारा/ गोदिंया / चंद्रपूर / गडचिरोली.**

**विषय- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात- सन २०१२-१३ मार्गदर्शक सूचना.**

**राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात राज्यातील नाशिक , पुणे, भंडारा,गोदिंया, चंद्रपूर, गडचिरोली या जिल्हयांमध्ये राबविण्यात येत आहे.**

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान भात सन २०१२-१३ मध्ये प्रत्येकी १०० हे. चे प्रात्यक्षिक प्रकल्प व प्रत्येकी १०० हे. चे प्रात्यक्षिक विरहीत प्रकल्प अशा दोन प्रकारचे प्रकल्प राबवावयाचे आहेत. या प्रकल्पाचे उद्दीष्ट काय राहणार आहे व त्यावरुन जो परीणाम अपेक्षित आहे याची नीट मांडणी करुन प्रकल्प तयार करण्यात यावेत. प्रकल्प पुर्ण झाल्यानंतर त्यात कितपत यश आले आहे ते नमुद करुन प्रगति अहवाल तयार करण्यात यावेत. तसेच त्याची विविध बाबींच्या फोटोसहीत यशोगाथा तयार करण्यात यावी.

प्रकल्प तयार करताना खालील बाबींचे पालन करावे.

सोबत प्रपत्र १ मध्ये जिल्हानिहाय, राबवावयाच्या पिक प्रात्यक्षिक विरहीत प्रकल्पांची संख्या व पिक प्रात्यक्षिके प्रकल्प संख्या खाली दिली आहे.

**प्रपत्र -१**

| अ.क्र. | जिल्हा | पिक प्रात्यक्षिक विरहीत प्रकल्प संख्या | पिक प्रात्यक्षिके प्रकल्प संख्या | एकुण प्रकल्प संख्या |
|---|---|---|---|---|
| १ | नाशिक | १९ | ६ | २५ |
| २ | पुणे | २४ | ५ | २९ |
| ३ | भंडारा | ६६ | १४ | ८० |
| ४ | गोंदीया | ६८ | १३ | ८१ |
| ५ | चंद्रपूर | ५५ | ११ | ६६ |
| ६ | गडचिरोली | ५६ | ११ | ६७ |
| **एकूण** | | **२८८** | **६०** | **३४८** |

१) भात पीकाचे क्षेत्रानुसार तसेच जेथे क्षेत्र वाढीस व उत्पादकता वाढीस वाव आहे याचा विचार करुन तालुकानिहाय/मंडलनिहाय राबवावयाचे प्रकल्पांची संख्या निश्चित करावी व संबंधिताना तसे

www.mahaagri.gov.in

कळविण्यात यावे व प्रकल्प अहवाल तयार करण्याच्या सूचना देण्यात याव्यात.

**प्रकल्प अहवाल तयार करताना खालील बाबींचे मुलभुत सर्वेक्षण करण्यात यावे.**

**अ)** निवडलेल्या क्षेत्रातील पीकनिहाय क्षेत्र,पीक पध्दती

**ब)** सर्व पीकनिहाय वाणनिहाय क्षेत्र व वाण निहाय उत्पादकता.

**क)** जमिन आरोग्य पत्रिका नुसार जमीनीचा सामु तसेच उपलब्ध नत्र,स्फुरद, पालाष व सुक्ष्ममुलद्रव्ये याचा वापर करण्यात यावा

**ड)** उपलब्ध सिंचन सुविधा त्यातुन सिंचना खालील क्षेत्र व भात पिकासाठी उपलब्ध होणारे सिंचन (क्षेत्र)

**इ)** उपलब्ध ट्रॅक्टर/पॉवर टीलर/बैल जोडी संख्या तसेच औजारे निहाय उपलब्धता

**फ)** निवड केलेल्या क्षेत्राचे पीकनिहाय निविष्ठा वापराचे प्रमाण

**ग)** उपलब्ध कुशल व अकुशल मनुष्यबळ

**ह)** निविष्ठा उपलब्धतेच्या सुविधा तसेच तयार झालेल्या कृषि मालाची पणन व्यवस्था.

उपरोक्त बाबींचा विचार करुन प्रकल्प आराखडा तयार करावा व क्षेत्र उत्पादन व उत्पादकता वाढीचे लक्षांक ठरविण्यात यावेत व त्याचे नियोजन करण्यात यावे. लक्षांक ठरविताना सर्वात जास्त साध्य झालेली उत्पादकतेपेक्षा जास्त प्रमाणात लक्ष निर्धारीत करण्यात यावे.

२) सर्व प्रकल्प शेतक-यांचे गट करुन गटामार्फत प्रकल्प राबविण्यात यावेत.

३) सर्वसाधारणपणे १० हेक्टरचे गट तयार करुन प्रत्येक १० हेक्टर मागे गटप्रमुख म्हणुन एका प्रगतिशील शेतक-याची निवड करण्यात यावी म्हणजेच एका प्रकल्पामध्ये सर्वसाधारण १० गट तयार करुन त्याचे प्रत्येकी १ प्रमाणे १० गटप्रमुखांची निवड करावी व गटप्रमुखांच्या सहाय्याने लाभार्थ्यांची निवड करावी.

४) मागील वर्षी लाभ दिलेल्या प्रकल्पाची व त्यातील शेतक-यांची पुन्हा निवड करण्यात येऊ नये

५) पिक प्रात्यक्षिक विरहीत प्रकल्पामध्ये राबवावयाच्या बाबींची माहीती खाली प्रपत्र -२ मध्ये देण्यात आलेली आहे.

६) पिक प्रात्यक्षिक प्रकल्पामध्ये १०० हे. क्षेत्रावर समुह स्वरुपात पिक प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करावयाचे आहेत. याबाबत मार्गदर्शक सुचनामध्ये सविस्तर नमुद करण्यात आले आहे. संकरीत व सघन/टोकन पध्दतीचे प्रात्यक्षिकांसाठी कृषि विद्यापिठाचे शास्त्रज्ञाचे शिफारस घेवुन पिक प्रात्यक्षिके आयोजित करावीत. पिक प्रात्यक्षिक प्रकल्पामध्ये सघन/टोकन पध्दतीवर आधारीत आणि संकरीत पिक प्रात्यक्षिक आधारीत या दोन प्रात्यक्षिकांचा समावेश आहे. यापैकी सधन पध्दतीवर आधारीत ३७ समुह (१०० हे. चा एक याप्रमाणे) व संकरीत पिक प्रात्यक्षिक या तंत्रज्ञावर आधारीत २३ समुह (१०० हे. चा एक याप्रमाणे)

७) गटप्रमुखांच्या सहाय्याने राबवावयाच्या कार्यक्रमाचे नियोजन करण्यात यावे.तसेच त्याचे

www.mahaagri.gov.in

वेळापत्रकही तयार करण्यात यावे. महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ,महाराष्ट्र कृषि उदयोग विकास महामंडळ,महाराष्ट्र लघु उदयोग विकास महामंडळ व महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ यांचे क्षेत्रीय अधिका-यांशी संपर्क साधुन निविष्ठांचा पुरवठा कोणत्या ठिकाणी करावयाचा आहे याची माहीती दयावी व निविष्ठा पुरवठयाचे नियोजन करण्यात यावे.

८) हंगामपुर्व प्रशिक्षणामध्ये राबवावयाच्या कार्यक्रमा बाबत माहीती देण्यात यावी. तांत्रिक बाबींचे मार्गदर्शन करावे. तसेच पुरवठा करण्यात येणा-या निविष्ठांचे वाटपा बाबतचे वेळापत्रक शेतक-यांना अवगत करुन देण्यात यावे.

९) सुधारीत कृषि औजारांची उपलब्धता व सेवा उपलब्ध होण्यासाठी स्वयंरोजगार सेवा पुरवठादार गट तयार करण्यात यावे व स्थानिक गरजेनुसार उपरोक्त दर्शविलेल्या औजारांचा अनुदानावर गटास/वैयक्तिक लाभार्थ्यास पुरवठा करण्यात यावा.

१०) पिक प्रात्यक्षिके, बियाणे वाटप, एकात्मिक अन्न द्रव्ये व्यवस्थापन (सुक्ष्ममुलद्रव्ये), यांत्रिकीकरण, पंपसेट वितरण, पिक संरक्षण, शेतकरी प्रशिक्षण इ. कार्यक्रम राबविण्यासाठी सर्वसाधारण मार्गदर्शक सूचना सोबत देण्यात आलेल्या आहेत.

११) प्रत्येक प्रकल्पामध्ये लाभार्थीची माहिती, निविष्ठा पुरवठा, प्रशिक्षण या बाबींची नोंद एका नोंदवहीमध्ये ठेवण्यात यावी. तसेच एक भेटीची नोंदवही ठेवून वरिष्ठ अधिकारी, कृषि विदयापीठ शास्त्रज्ञ यांच्या भेटीच्या नोंदी ठेवाव्यात व त्यांच्या स्वाक्षऱ्या घ्याव्यात.

**प्रकल्प अंर्तगत राबवावयचा बाबनिहाय जिल्हानिहाय कार्यक्रम प्रपत्र -३ मध्ये देण्यात आला आहे.**

**प्रकल्पाबाहेर राबवावयचा बाबनिहाय जिल्हानिहाय कार्यक्रम प्रपत्र -४ मध्ये देण्यात आला आहे. प्रकल्पाबाहेर राबवावयाचे दिलेल्या जिल्हानिहाय लक्षांकानुसार जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी तालुक्याच्या क्षेत्रानुसार कार्यक्रमाचे वाटप करावे व त्यानुसार कार्यक्रम राबविण्याबात सर्व संबंधीतांना कळविण्यात यावे.**

**प्रकल्पाअंतर्गत व प्रकल्पाबाहेर कार्यक्रम राबवितांना अनुसूचित जातींना १६ टक्के, अनुसूचित जमातींना ८ टक्के व महिला लाभार्थ्यांना ३० टक्के प्रमाणे लाभ देण्यात यावा. तसेच ज्या ठिकाणि अपंग शेतकरी असेल व योजनेतील बाबीसाठी त्याला अनुदान देय असेल तर प्राधान्याने अशा लाभार्थ्याची निवड करण्यात यावी. शासन स्तरावरुन अनुसूचित जाती, जमाती, महिला व अंपग लाभार्थ्यांची संख्या व दिलेले अनुदान या बाबीची माहीती मासिक प्रगती अहवालासोबत स्वंतत्र प्रपत्रात सादर करण्यात यावी.**

**लाभार्थिची ऑनलाईन माहिति भरणे**

www.mahaagri.gov.in

१. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत -भात, गहू, कडधान्य कार्यक्रमामध्ये लाभार्थ्यांना निरनिराळ्या बाबीचा लाभ देण्यात येतो याविषयाची तालुकानिहाय माहिती ऑनलाईनवर भरण्याविषयी केंद्र शासनाने सूचीत केलेले आहे. या करीता केंद्र शासनाने **http://www.nfsm.gov.in** या वेबसाईटवर माहिती भरण्याची व्यवस्था केलेली आहे. राष्ट्रीय

अन्न सुरक्षा अभियान कार्यक्रमामध्ये समाविष्ठ असलेल्या जिल्ह्यामधील सर्व तालुका कृषि अधिकारी यांनी निरनिराळ्या घटकांअंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन भरावयाची आहे. यासाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चीत करण्यात आली आहे.

२. संकेतस्थळावरती माहिती भरणे अनिवार्य असल्यामुळे अपूर्ण माहिती असल्यास पुढील निधीची तरतुद केली जाणार नाही याची नोंद घेण्यात यावी.

३. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत गावनिहाय वाटप केलेल्या निविष्ठा, प्रात्यक्षिके व इतर दिलेले लाभ या बाबतची लाभार्थिची यादी ग्राम पंचायत कडे पाठवुन सदरील माहिती

ग्रामसभेत सादर करावी.

४. सोबत जोडलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी व अभियान कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवावा.

**सोबत :- वरीलप्रमाणे**

**कृषि संचालक**
**(विस्तार व प्रशिक्षण)**
**कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५**

**प्रत-**

1. **मा. प्रधान सचिव (कृषि), मंत्रालय, मुंबई-३२ यांना माहितीस्तव सविनय सादर**
2. **मा.व्सवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ, राजन हाऊस, तिसरामजला, प्रभादेवी, मुंबई-६५**
3. **मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पणन महामंडळ, मुंबई.**
4. **मा. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ महाबीज भवन, कृषि नगर, अकोला-४४४१०४**
5. **संशोधन संचालक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर.**
6. **डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला.**
7. **विभागीय कृषि सहसंचालक, विभाग-नाशिक, पुणे, नागपूर**
   **उपरोक्त दिलेल्या सूचना नुसार आपल्या विभागात कार्यक्रमाचे सनियंत्रण करावे.**

www.mahaagri.gov.in

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, भात पिक
## <u>मार्गदर्शक सुचना सन २०१२-१३</u>

**प्रस्तावना**

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान ही केंद्र पुरस्कृत योजना २००७-०८ मध्ये सुरु करण्यात आली आहे. या अभियानाअंतर्गत राज्यात तृणधान्यामधील भात व गहू पिकांची निवड करण्यात आली असुन. सदर योजनेचा १२ व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भात पिकाचे देश पातळीवरील उत्पादन वाढविण्याचे लक्ष निश्चित करण्यात आले आहे.

या अभियानाअंतर्गत राज्यातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदीया, नाशिक, पुणे या सहा जिल्ह्यांची भात पिकासाठी निवड करण्यात आली आहे.

**राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाची अंमलबजावणी करताना निविष्ठा, औजारे व पिक प्रात्यक्षिकाचे नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी/मुख्य कार्याधिकारी यांचे अध्यक्षेतेखाली जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात यावी.**

### १) संकरीत व सघन पिक प्रात्यक्षिके/टोकन पध्दत :
### सदर प्रात्यक्षिके ही प्रकल्प आधारीत राबविण्यात यावीत.

१) पिक प्रात्यक्षिके १०० हेक्टर क्षेत्राचे गटावर (क्लस्टरवर) **संकरीत व सघन/टोकन पध्दतीचे प्रात्यक्षिकांचे गटांचे जिल्हानिहाय लक्षांक सोबतच्या तक्त्यात देण्यात आले आहेत.**

२) एका हेक्टरसाठी बियाणे व निविष्ठासाठी रु.६,६२५/- अनुदान उपलब्ध आहे.

३) एका लाभार्थी शेतक-यांस एकच प्रात्याक्षिक देण्यात यावे.

४) भात पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषि विद्यापिठाने शिफारस केलेल्या तंत्रज्ञानावर आधारित पिक प्रात्यक्षिके आयोजित करावीत.

५) प्रात्यक्षिक आयोजनाबाबत विभागाकडून देण्यात आलेले उद्दीष्ट लक्षात घेऊन आवश्यक असलेल्या निविष्ठा जिल्हास्तरीय समितीमध्ये अनुदान मर्यादेपर्यत अंतिम करण्यात याव्यात.

६) लाभार्थी शेतकऱ्यांची निवड मंडळ कृषि अधिकारी यांनी गट प्रमुखाच्या मदतीने करावी.

७) शेतकरी निवड केल्यानंतर प्रात्यक्षिकासाठी आवश्यक असणाऱ्या निविष्ठांची एकूण मागणी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे मंकृअ यांचे मार्फत नोंदविण्यात यावी.

www.mahaagri.gov.in

ताकृअ यांनी जिअकृअ यांचेकडे निविष्ठा मागणी नोंदवावी. जिल्हयातील निविष्ठांची एकत्रित मागणी विभागीय कृषि सहसंचालक यांच्या मान्यतेने पुरवठादार संस्थेकडे नोंदविण्यात यावी.

पुरवठादार संस्थेस ठिकाण, कालावधी बाबतचा सविस्तर तपशिल कळविण्यात यावा.

८) प्रात्यक्षिक प्लॉट शेजारी पारंपारीक पध्दतीवर आधारीत तुलनात्मक प्लॉट घेण्यात यावा.

९) प्रात्याक्षिक पिकाचा उत्पादकता लक्षांक हा प्रात्यक्षिकासाठी निवड करण्यात आलेल्या वाणाच्या उत्पादन क्षमतेएवढा निश्चित करावा.

१०) प्रात्यक्षिक प्लॉटला नियमीत भेटी देण्यात याव्यात. भेटीमध्ये केलेल्या मार्गदर्शनाची नोंद कृषि सहाय्यक यांनी क्षेत्रिय स्तरावरील नोंदबुकात करावी.

११) प्रात्यक्षिकासाठीच्या निविष्ठा वेळेपूर्वी लाभार्थीस उपलब्ध होणेसाठी आवश्यक ते नियोजन मंडळ कृषि अधिकारी यांनी करावे.

१२) प्रात्यक्षिकासाठी ५ वर्षाचे आतील अधिसूचित केलेले संकरीत व सुधारीत वाण घेण्यात यावेत.

१३) सदर प्रात्यक्षिके शक्यतो हमरस्तालगत असावीत. तसेच सदर प्रात्यक्षिक फलक रस्त्याच्या कडेला प्लॉटशेजारी लावण्यात यावा व त्यावर परिसरातील शेतक-यांच्या भेटी घडवून आणाव्यात.

१४) प्रात्यक्षिकांचे निरिक्षण कृषि पर्यवेक्षक यांनी करावे.

१५) प्रात्यक्षिक घेतलेल्या प्लॉटचे व तुलात्नामक प्लॉटच्या उत्पादनाचा अहवाल जिअकृअ मार्फत कृषि आयुक्तालयास सादर करण्यात यावा.

१६) प्रात्यक्षिकांचे मूल्यमापन उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी करावे.

१७) लाभार्थ्यांची यादी नोटीसबोर्ड, कृषि विभागाच्या बेबसाईटवर जाहीर करावी. तसेच उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी तालुकानिहाय पत्रकार परिषद घ्याव्यात.

**अनुदानाचा तपशिल**

| अ.क्र | बाब | रक्कम रु. |
|---|---|---|
| १ | १.०० हे. प्रात्यक्षिकासाठी देय अनुदान ६६२५/- रु. प्रत्यक्ष बियाणे व इतर निवष्ठेसाठी देय राहील म्हणजेच १०० हे. च्या गटासाठी ६.६२५ लाख अनुदान देय आहे. | ६,६२५००/- |
| २ | १०० हे. गटावर प्रात्यक्षिके राबविणेसाठी शास्त्रज्ञ/ केंद्र शासनाचे अधिकारी यांच्या भेटीसाठी, मानधन व (ऑईल पेट्रोल घेण्याच्या सोईसह). तसेच शेतकरी प्रर्वतकासाठी प्रति माहे रु. ३०००/- प्रमाणे गरजेनुसार ३ ते ४ महिन्यासाठी मानधन . | ६३,५००/- |
| **१०० हे. क्लस्टरसाठी एकुण देय अनुदान** | | **७,२६०००/-** |

☆ **शेतकरी प्रर्वतक** - प्रत्येक गटासाठी (१०० हे) एका प्रगतशिल शेतक-याची प्रर्वतक म्हणुन निवड करण्यात यावी. या शेतकरी प्रर्वतकास रु. ३०००/- प्रति महिना मानधन देय आहे. गरजेनुसार ३/४ महिन्यासाठी या प्रर्वतकाची

www.mahaagri.gov.in

निवड करण्यात यावी. यासाठी मानधन उपरोक्त तक्त्यामधिल अ.क्र. २ मध्ये दर्शविलेल्या रक्कम रु. ६,५००/- (प्रति १०० हे. गट) मधुन देण्यात यावे. सदर शेतकरी प्रर्वतकाची शेतकरी प्रशिक्षण, पिक प्रात्यक्षिके राबविणे इ. साठी मदत घेण्यात यावी.

## २) बियाणे वितरण

पिकाची उत्पादकता वाढविणेसाठी बियाणे या मूलभूत निविष्ठेवर भर देणे महत्वाचे आहे. सुधारीत भात बियाणे वाटपाचा कार्यक्रम लक्षांकाप्रमाणे राबविणे आवश्यक आहे.

### २.१) प्रमाणीत बियाणे वितरण (वाण बदल)

१) प्रत्येक प्रकल्पाच्या गटामध्ये ३३ क्वि. बियाणे वाटप करावयाचे आहेत. बियाणे महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ यांनी त्यांचे वितरकामार्फत प्रती क्वि. रु.५००/- दर कमी करुन वाटप करावयाचे आहे.

२) अभियाना अंतर्गत उत्पादन वाढविण्याच्या हेतुने बियाणे बदल वापर ३३ टक्के पर्यत वाढविणे अभिप्रेत आहे.

३) भात वाणाचा अधिक उत्पादन देणा-या व मागील १० वर्षात प्रसारीत झालेल्या वाणाचे दर्जेदार प्रमाणित बियाणांच्या खरेदीसाठी रक्कम रु. ५००/- प्रती क्विंटल किंवा किमंतीच्या टक्के या पैकी जे कमी असेल त्या दराने अनुदान देय राहील.

४) राष्ट्रीय बियाणे निगम/ राज्य अन्न मंडळ/ बियाणे महामंडळ /कृषि विद्यापीठे आणि इतर राज्य शासनाचे मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत खाजगी कंपन्या यांना शासनाचे वितरण आदेशाप्रमाणे अधिक उत्पादन देणा-या भात वाणांच्या वितरणा बद्दल अनुदान देण्यात येईल. जिल्हा समितीच्या शिफारशीनंतर राज्य / जिल्हा स्तरावरुन बियाणे वितरणासाठीचे अनुदान वितरीत करण्यात येईल.

**प्रकल्पाअंर्तगत व प्रकल्पाबाहेरील सर्व बियाणे वाटप करतांना महाबीज मार्फत त्यांचे वितरकांव्दारा अनुदानावर बियाणे वितरीत करण्यात येईल. यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत करण्यात येतील.**

### २.२) संकरीत भात बियाणे वितरण

१) प्रत्येक प्रकल्पाच्या गटामध्ये १ क्विं. बियाणे प्रती क्वि. रु. २०००/- प्रमाणे अनुदानावर वाटप करावयाचे आहे.

२) प्रमाणीत संकरीत भात बियाणे वितरणासाठी प्रती क्विंटल रु. २०००/- किंवा किंमतीच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.

www.mahaagri.gov.in

**प्रकल्पाअंर्तगत व प्रकल्पाबाहेरील सर्व संकरीत बियाणे वाटप करतांना महाबीज मार्फत त्यांचे वितरकांव्दारा अनुदानावर बियाणे वितरीत करण्यात येईल. यासाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सूचना निर्गमीत करण्यात येतील.**

## ३ सूक्ष्ममूलद्रव्यांचा वापर भात पिकात वाढविणे.

३.१) प्रत्येक प्रकल्पाच्या गटामध्ये ९० हे. क्षेत्रावर सुक्ष्ममुलद्रव्य वाटप करावयाचे आहेत.

३.२) सूक्ष्ममुलद्रव्याचा वापर पेरणीपूर्वी/लावणीपूर्वी करण्यात यावा.

३.३) शेतक-यांना जास्तीत जास्त २ हेक्टर भात पिकाच्या क्षेत्रासाठी अनुदान देय राहील.

३.४) भात या पिकासाठी शेतक-यांना सूक्ष्ममूलद्रव्यासाठी रक्कम रुपये ५००/- प्रति हेक्टर किंवा किमंतीच्या ५० टक्के यापैंकी जी कमी असेल ते अनुदान देय राहील

३.५) भात पिकाची उत्पादकता वाढविणेसाठी झिंक या सूक्ष्ममूलद्रव्यांची आवश्यकता दिसून आलेली आहे. त्यासाठी झिंक हे सूक्ष्ममूलद्रव्य **(ZnSo4,7H2o, Zincsulphate eptahydrate)** या सरळ खताच्या स्वरूपात प्रति हेक्टर २५ किलो याप्रमाणात वापरण्यात यावी. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी सविस्तर तालुकानिहाय पुरवठा आदेश व वाटपाचे नियोजन महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ किंवा मार्केटीग फेडरेशन यांना कळवावे.

३.६) सुक्ष्म मुलद्रव्य पुरवठा करण्यात आलेल्या क्षेत्राची कृषि सहाय्यक यांनी निरिक्षण घेऊन निरिक्षण नोंदवहित नोंदवावी. उपविभागीय कृषि अधिकारी यांनी मुल्यांकन अहवाल सादर करावा.

## ४ यांत्रिकीकरण (औजारांचा वापर)

**<u>राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान -</u>**

प्रत्येक प्रकल्पाच्या गटामध्ये कोनोविडर व इतर औजारांचे प्रति लाभार्थी रु.३०००/- मर्यादेत किंवा किमतीच्या ५० टक्के अनुदानावर यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील असे १० संच वाटप करावयाचे आहेत.

४.१) **कोनोविडर** भात पिकामध्ये इतर औजारांमध्ये हातकोळपे (Hand Weeder) सायकल कोळपे (Wheel Hoe) रेक (Rake), रोटरी टिलर (Rotary Tiler), सरीयंत्र (Ridger), Marker (Wooden & Iron), सारायंत्र (Furrow Opener/Other Farm Implements) उडवणी पंखे, त्री टाईन टु व्हिलर कल्टिवेटर, वैभव विळे

www.mahaagri.gov.in

इ. चा समावेश करण्यात आला आहे. सदर औजारासाठी रक्कम रुपये ३०००/- अथवा किमतीच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते  अनुदान देय राहिल.

औजारांची मागणी कृषि सहाय्यक यांनी मंकृअ यांचे मार्फत तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे नोंदविण्यात यावी. ताकृअ यांनी जिअकृअ यांचेकडे औजारे मागणी नोंदविण्यात यावी. जिल्हयातील औजांराची एकत्रित मागणी विभागीय कृषि सहसंचालक यांच्या मान्यतेने शासकिय पुरवठादार संस्थेकडे नोंदविण्यात यावी. उपरोक्त मागणी अनुदान मर्यादा, देयकांच्या अदायगीची पध्दत इत्यादी बाबत अटी व शर्तीचे अधिन राहून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी खरेदी करण्यात यावीत.

पुरवठादार संस्थेस  ठिकाण, कालावधी बाबतचा सविस्तर तपशिल कळविण्यात यावा.सदरची औजारे योजनेअंतर्गत खरेदी करताना नमूद औजारांचे गुणवत्ते विषयक मानके (स्टॅंडर्स) कृषि विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनानुसार राहतील. औजारांची गुणवत्ता तपासणी तालुका कृषि अधिकारी यांनी करावी. तसेच योग्य त्या नोंदी नोंदवहित घेण्यात याव्यात. क्षेत्रिय अधिका-यांनी औजारे निवडलेल्या लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात यावे.

कोनोविडर, नॅपसॅक स्प्रे पंप आणि इतर शेतीऔजारांचा लाभ सर्व शेतक-यांसाठी उपलब्ध आहे, अभियानाच्या कालावधीमध्ये एका लाभार्थ्यास विहीत आर्थिक मर्यादेत एक  किंवा त्यापेक्षा जास्त मशीनचा लाभ देण्यात यावा. शेतक-यांच्या स्वयंसेवी संघटनांना याचा लाभ घेता येईल.

www.mahaagri.gov.in

### ४.२ पंपसेट वितरण

१. प्रत्येक प्रकल्पाच्या गटामध्ये पंपसेट १० नग वाटप करावयाचे आहेत.

२. डार्क किंवा ब्राऊन झोनमध्ये समावेश नसलेल्या/जिल्हयातील तालुक्यासाठी पंपसेट देय राहील. याबाबत केंद्रीय भुजल सर्वेक्षण समितीने सदर क्षेत्र डार्क किंवा ब्राउन झान मध्ये येत नसल्याबाबत प्रमाणीत केलेले असावे.

३. **५ एच.पी.** पर्यंत क्षमतेचे पंपसेट डार्क झोन मधिल भागात ज्याठिकाणी वेगवेगळ्या योजनेतून शेततळी घेण्यात आलेली आहे त्या भागात वितरीत करण्यात यावे.

४. डिझेल किंवा इलेक्ट्रीकल पंपसेट (१० एच पी पर्यंत) IS10804 (१९९४) या मानकाचे असणे बंधनकारक आहे किंवा Farm Machines Training Institute of GOI-cif, Bhopal or SAUS यांनी प्रमाणित केलेला असावा.

५. भात पिकासाठी पंपसेटसाठी लाभार्थी निवडीची जबाबदारी तालुका कृषि अधिकारी यांची राहिल. लाभार्थी निवड करताना ज्या शेतक-यांनी यापुर्वी शेततळ्याचा विविध केंद्र/राज्य पुरस्कृत योजनेत लाभ घेतलेला आहे अशा लाभार्थीची प्राधान्याने पंप वितरणासाठी निवड करण्यात यावी. असा लाभार्थी नसल्यास इतर शेतक-यांच्याकडे खात्रीचा पाणीपुरवठा स्त्रोत असल्याची खातरजमा करुन निवड करण्यात यावी. तसेच तालुक्याची एकत्रित मागणी जिअकृअ यांचेकडे नोंदविण्यात यावी. जिअकृअ यांनी खरेदी संदर्भात जिल्हा स्तरीय कमिटीमध्ये खरेदी बाबतचा निर्णय अंतिम करण्यात यावा.

६. पंपसेट ही बाब राजीवगांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनेशी एकात्मिकरित्या राबविण्यात यावी.

७. पंपसेटसाठी रक्कम रुपये १०,०००/- अथवा किमतीच्या ५० टक्के यापैकी जे कमी असेल ते अनुदान म्हणून देय राहिल.

**४.३) फवारणी यंत्रासाठी अर्थसहाय्य**

प्रत्येक प्रकल्पाच्या गटामध्ये फवारणी यंत्र १० नग वाटप करावयाचे आहेत. या यंत्रासाठी रक्कम रुपये ३०००/- अथवा किंमतीच्या ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.

**४.४) मल्टी क्राप प्लँटर(भात लावणी यंत्र)**

प्रत्येक प्रकल्पाच्या गटामध्ये मल्टी क्राप प्लँटर प्रकल्पाबाहेर लक्षांकाप्रमाणे वाटप करावयाचे आहेत. या यंत्रासाठी रक्कम रुपये १५०००/- अथवा किंमतीच्या ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.

**४.५) पाभर** –प्रकल्पाबाहेर लक्षांकाप्रमाणे वाटप करावयाचे आहेत. या यंत्रासाठी रक्कम रुपये १५०००/- अथवा किंमतीच्या ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.

**४.६) पॉवर विडर(ब्रश कटर व त्या अनुषंगिक औजारे यासाठी अनुदान देय राहील)-**

प्रकल्पाबाहेर लक्षांकाप्रमाणे वाटप करावयाचे आहेत. या यंत्रासाठी रक्कम रुपये १५०००/- अथवा किंमतीच्या ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.

**४.७) लेझर लँड लेव्हलर**

यंत्र प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १ लक्षांक देण्यात आलेला आहेव सदर यंत्र हे शेतक-यांच्या गटामध्येच देण्यात यावे. या यंत्रासाठी रक्कम रुपये १५००००/- अथवा किंमतीच्या ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ते अनुदान देय राहील.

## औजारे वितरण पध्दत

१. यांत्रिकीकरणाचा लाभ देताना महिला/मागासवर्गीय लाभार्थी, महिलांचे स्वयंसेवीसंघ यांना प्रथम प्राधान्याने लाभ देण्यात यावा. यांना लाभ देऊन उर्वरित यंत्रे, अत्यल्प भूधारक, अल्पभूधारक, छोटे शेतकरी, मोठे शेतकरी अशा क्रमाणे वाटपाची कार्यपध्दती ठेवावी.

२. सर्व औजारांचे तांत्रिक निकष संबंधित उत्पादक संस्थेकडून जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी प्राप्त करुन घेणे बंधनकारक राहिल. तसेच सदरचे निकष ताकृअ यांना कळविण्याची जबाबदारी जिअकृअ यांची राहील.

३. शासकीय पुरवठादार संस्थानी पुरवठा केल्यानंतर सर्व औजारांचा पुरवठा संस्थेच्या तांत्रिक मानांकाप्रमाणे असल्याबाबतची तपासणी व खातरजमा करणेबाबत तालुका कृषि अधिकारी यांची जबाबदारी राहील.

४. तालुक्याच्या चिकीत्सालयाच्या ठिकाणी अथवा तालुका बिज गुणन केंद्र येथे औजारे प्राप्त करुन त्या ठिकाणी तांत्रिक तपासणी करावी. तांत्रिक तपासणीनंतर तिथून लाभार्थ्यांना औजारे वाटप करण्यात यावे. पोहोच घेऊन संग्रही ठेवावी.आवश्यक त्या नोंदी नोंदवहित घेण्यात याव्यात.

५. तांत्रिक तपासणीमध्ये औजारांचा जो लॉट अपात्र ठरेल तो मुळ संस्थेस त्यांच्या खर्चाने परत करावा तसे बंधन त्यांना पुरवठा आदेश देताना टाकावे.

६. औजारांचे साठा रजिस्टर ठेवून तालुका कृषि अधिकारी यांनी लेखा पध्दती प्रमाणे नोंदी घेण्यात

www.mahaagri.gov.in

याव्यात.

## ५) भात पीक संरक्षणासाठी रासायनिक औषधे व जैविक कीटकनाशके पुरवठा

१) भात पिकातील एकात्मिक कीड व्यवस्थापनासाठी रक्कम रुपये ५००/- प्रति हेक्टर किंवा खर्चाच्या ५० टक्के या पैकी जे कमी असेल ती आर्थिक मदत देय राहील.

२) या बाबी अंतर्गत जैविक व रासायनिक कीटकनाशके यांचा वापर करता येईल.

३) प्रति शेतकरी २ हेक्टर मर्यादेपर्यत सदर बाबीचे अनुदान देय राहील.

भात पिकावरील कीड व रोगांची लागण होताच मंडळ कृषि अधिकारी यांचेकडे लेखी कळविण्याची जबाबदारी कृषि पर्यवेक्षक यांची राहिल. मंकृअ यांनी खात्याच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार औषधाची मागणी ताकृअ यांचेकडे कळवावी. सदर मागणी ताकृअ यांनी जिअकृअ यांचेकडे व जिअकृअ यांनी समितीच्या मान्यतेने पुरवठादार संस्थेकडे करावी. जैविक निविष्ठा पुरवठा संदर्भात खात्याच्या प्रयोगशाळेत उत्पादित होणारे घटक, विद्यापीठ प्रयोगशाळा, महाबीज व कृषि औद्योगीक विकास महामंडळ यांचेकडील उत्पादने पुरवठाबाबत आवश्यकतेनुसार मागणी जिअकृअ यांनी नोंदवावी. उविकृअ यांनी संरक्षित क्षेत्रात औषधाचा वापर व उपयोगिताबाबतचा अहवाल जिअकृअ यांना कळवावा.

## ६) शेतकरी प्रशिक्षण

शेतकरी प्रशिक्षण हे शेतीशाळा धर्तीवर राबविण्याचे आहेत. त्याची खालीलप्रमाणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

१) प्रत्येक लघु प्रकल्पाच्या गटामध्ये १ शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग घेण्यात यावा.

२) शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग घेण्याची ठिकाणे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये निश्चित करण्यात यावी.

३) सदर शेतकरी प्रशिक्षण वर्ग हे पिक पध्दतीवर आधारीत असावेत व त्यामध्ये हंगामातील सर्व पिकांचा समावेश प्रशिक्षण वर्गात असावा.

४) एक प्रशिक्षण वर्ग हा एकुण चार सत्रामध्ये प्रत्येकी ३० शेतक-यांच्या समुहासाठी आयोजीत करण्यात यावा. एका सत्रासाठी रक्कम रूपये ३५००/- आर्थिक तरतूद राहिल.

५) प्रथम सत्र हे खरीप हंगामाच्या सुरवातीस आयोजीत करावेत.

६) व्दितीय सत्र हे खरीप हंगामाच्या कालावधीत घ्यावेत.

७) तृतीय सत्र हे रब्बी हंगामाच्या कालावधीत घ्यावेत.

८) चौथे सत्र रब्बी पिकाच्या काढणीनंतर आयोजीत करावेत.

९) संपुर्ण चार सत्राच्या प्रशिक्षण वर्गासाठी रक्कम रु. १४०००/- अनुदान देय राहील.

१०) अधिक उत्पादन व उत्पादकता घेणेसाठी शेतक-यांना प्रत्यक्ष त्यांच्या शेतावर अद्यावत तांत्रिक माहिती पुरविणे, शेतीशास्त्राचे उत्तम दर्जाचे तंत्रज्ञान देणे, हा शेतकरी प्रशिक्षण वर्गाचा मुख्य हेतू आहे.

११) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानामध्ये समाविष्ट असणा-या तालुक्यासाठी पीकाखालील क्षेत्राप्रमाणे शेतकरी प्रशिक्षण वर्गाची संख्या राहिल. कृषि विद्यापीठे, कृषि विज्ञान केंद्र, केंद्र शासनाच्या संस्था येथील दोन कृषि तंज्ञ प्रत्येक शेतकरी प्रशिक्षण वर्गात मार्गदर्शन करण्यासाठी असावेत.

www.mahaagri.gov.in

१२) प्रत्येक शेतकरी प्रशिक्षण वर्गात शेतक-यांची संख्या ३० च्या मर्यादेपर्यंत राहील. प्रत्येक शेतकरी प्रशिक्षण कृषि तज्ञांच्या सोईच्या वेळेनुसार ४ ते ५ तासाची असेल.

शेतकरी प्रशिक्षण वर्गाचे बाबनिहाय सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे राहील.

| अ.क्र. | तपशिल/बाब | रक्कम रुपये |
|---|---|---|
| १ | प्रथम सत्र खरीप हंगामाच्या सुरवातीस | ३५०० |
| २ | व्दितीय सत्र खरीप हंगामाच्या कालावधीत | ३५०० |
| ३ | तृतीय सत्र रब्बी हंगामाच्या कालावधीत | ३५०० |
| ४ | चौथे सत्र रब्बी हंगामाच्या पिक कापनीनंतर | ३५०० |
| | एकूण खर्च | १४,००० |

मार्गदर्शनासाठी बोलविण्यात आलेल्या तज्ञांचे मानधन, प्रशिक्षणासाठी लागणारे साहित्य व माहीती पुस्तिका तसेच प्रशिक्षणार्थीसाठी लागणारे फराळ इ. खर्च करण्यात यावा.

विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सुचनांचे आधिन राहून शेतक-यांच्या शेतकरी प्रशिक्षण आयोजित कराव्यात. तज्ञ प्रशिक्षकांचे प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थीमार्फतच शेतक-यांच्या शेतकरी प्रशिक्षण आयोजीत केल्या जातील, हे कटाक्षाने पाहावे.

शेतक-यांना प्रत्यक्ष भात क्षेत्रावर पिकाच्या संपूर्ण हंगामात पीकाच्या वाढीच्या प्रमुख अवस्थेत टीओएफच्या अभ्यास क्रमानुसार प्रशिक्षण देण्यात येईल. यापूर्वी टी.ओ.एफ. व्दारे प्रशिक्षित झालेले कर्मचारी / शेतकरी / इतर संस्थांचे प्रतिनिधी हे प्रशिक्षकाचे काम करतील. प्रत्येक शेतकरी प्रशिक्षणासाठी असे दोन प्रशिक्षक असतील. प्रत्येक शेतकरी प्रशिक्षण ३० शेतक-यांना प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रशिक्षणात सहभागी शेतक-यांपैकी सलग १०० हेक्टर क्षेत्र असणा-या गटात प्रात्यक्षिक आयोजित करावे. हे प्रशिक्षण शेतक-यांचा प्रत्यक्ष सहभाग व कृतिव्दारे अनुभव या तत्वावर आधारीत राहील. शेतकरी प्रशिक्षणाचा अभ्यासक्रम हा हंगामानुसार व स्थानिक गरजेनुरुप राहील.

**७. आाकस्मिक खर्च**

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान कार्यक्रम गतीमान होण्यासाठी जिल्हयाला इंधन वाहनाची देखभाल व दुरुस्ती व प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा यासाठी (तांत्रिक सल्लागार व तंत्रसहाय्यक यांचे मानधनासह संकीर्ण खर्च) रु.६.३६ लाख अर्थ सहाय्य देय राहील. प्रकल्प व्यवस्थापन यंत्रणा बाबीअंतर्गत प्रत्येक जिल्हयासाठी जिल्हा सल्लागार व तंत्रसहाय्यक यांना मान्यता असून यापुर्वी दिलेल्या सुचनानुसार मानधन दिलेल्या मापदंडानुसार खर्च करण्यात यावा.

विशेष सुचना

**१) योजनेतील मंजूर लक्षांकास अनुसरून आयुक्तालय स्तरावरून बाबनिहाय दिलेल्या लक्षांकानुसार दिलेल्या योजनेची अंमलबजावणी करणेची आहे. आयुक्तालयाच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत क्षेत्रिय स्तरावरुन बाबबदल करणेत येऊ नये.**

www.mahaagri.gov.in

**२) या योजनेतील समाविष्ट घटकाच्या अंमलबजावणीस आवश्यक असणा-या कृषि निविष्ठांची आवश्यकता जिल्हास्तरावर अंतिम करणेत यावी. सदरच्या निविष्ठा मागणीस विभागीय कृषि सह संचालक यांची पुर्वमान्यता घ्यावी. विभागीय कृषि सह संचालक यांच्या मान्यतेने पुरवठादार संस्थेकडे मागणी आदेश नोंदविण्यात यावेत. विभागीय कृषि सह संचालक कार्यालयाकडे आपला प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर तीन कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसापर्यंत विभागीय कृषि सह संचालक यांची सदर निविष्ठा मागणीस मान्यता न मिळाल्यास सदर प्रस्तावास मान्यता आहे असे समजून जिल्हास्तरावरुन मागणी आदेश नोंदविण्याची कार्यवाही करावी.**

**३) या योजनेच्या अंमलबजावणीमध्ये शेतकरी वाटा/हिस्सा याचा समावेश असून सदर हिस्सा क्षेत्रिय स्तरावर क्षेत्रिय कर्मचा-यामार्फत शेतक-यांकडून गोळा केला जातो. हा हिस्सा प्राप्त होताच सत्वर संबधीत पुरवठादार संस्थेकडे भरणा करणेसाठी कार्यालयात जमा करावा. याबाबत मा. आयुक्त यांचे कक्षामधून लेखा विषयक कार्यपध्दतीबाबत सविस्तर परिपत्रक निर्गमीत केले आहे. शेतकरी वाटा कार्यालयात जमा करण्यास दिरंगाई हा अपहार समजून या बाबत विलंब आढळल्यास कार्यालय प्रमुखाने संबधीताबाबत प्रशासकीय कार्यवाही करावी अन्यथा कार्यालय प्रमुखास जबाबदार धरणेत येऊन या बाबत त्यांचे विरूध्द आवश्यक ती प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.**

**योजनेचे सनियंत्रण व मूल्यमापन :-**

विविध स्तरावर रवर्चाच्या तपासणीची टक्केवारी खालील प्रमाणे राहिल.

| अ.क्र. | स्तर | टक्केवारी |
|---|---|---|
| १ | विभागीय कृषि सह संचालक | १ |
| २ | जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी | २ |
| ३ | उप विभागीय कृषि अधिकारी | ५ |
| ४ | तालुका कृषि अधिकारी | १० |
| ५ | मंडल कृषि अधिकारी | १५ |
| ६ | कृषि पर्यवेक्षक | ५० |
| ७ | कृषि सहाय्यक | १०० |

विभागीय कृषि सहसंचालक यांनी प्रत्येक महिन्यात किमान एका प्रकल्पाला भेट दयावी. जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी ३ प्रकल्पांना भेट दयावी व कृषि उपसंचालक यांनी त्यांचे कार्यक्षेत्रातील ५० टक्के प्रकल्पांना भेटी दयाव्यात व निविष्ठा पुरवठा व इतर कार्यक्रमांचा आढावा घ्यावा. भेट नोंदवहीमध्ये तशी नोंद करावी व शेऱ्यामध्ये सूचना लिहाव्यात.

www.mahaagri.gov.in

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान सन २०१२-१३ मध्ये ज्या जिल्हयामध्ये राबविण्यात येत आहे या अभियानाअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या भात पिक कार्यक्रमाच्या बाबी तृणधान्य विकास कार्यक्रमा अंतर्गत राबविण्यात येऊ नयेत. या बाबत संबधीत जिल्ह्याने व विभागाने दक्षता घ्यावी.

सन २०१२-१३ च्या हंगामासाठी हार्दिक शुभेच्छा।।

कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण)
कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे-५

## प्रपत्र -२

## पिक प्रात्यक्षिक विरहीत एका प्रकल्पामधील समाविष्ट कार्यक्रम
## प्रकल्प क्षेत्र १०० हेक्टर

(रुपये हजारात )

| अ. क्र. | बाब | अर्थसहाय्याचा दर | परिमाण | प्रस्तावीत कार्यक्रम २०११-१२ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतिक | आर्थिक |
| १ | संकरीत भात बियाणे वितरण | रु. २०००/- प्रति क्विंटल | क्विंटल | १ | २.०० |
| २ | सुधारीत बियाणे वितरण (वाण बदल ) | रु. ५००/- प्रति क्विंटल | क्विंटल | ३३ | १६.५० |
| ३ | भात पिकात सूक्ष्म मूलद्रव्याचा वापर | रु. ५००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ९० | ४५.०० |
| ४ | यांत्रिकीकरणाअंतर्गत कोनोविडर व इतर औजारांचे वाटप | रु. ३०००/- प्रति यंत्र | संख्या | १० | ३०.०० |
| ५ | पंपसेट | रु. १००००/- प्रति पंपसेट | संख्या | १० | १००.०० |
| ६ | फवारणी यंत्र (स्प्रेयर) | रु.३०००/- प्रति यंत्र | संख्या | १० | ३०.०० |
| ७ | शेतकरी प्रशिक्षण (एकुण चार सत्रात) | रु.३५००/-प्रति सत्र याप्रमाणे १४०००/- शेतकरी प्रशिक्षण | संख्या | १ | १४.०० |
| ८ | संकीर्ण (शास्त्रज्ञ भेटी, अहवाल तयार करणे, यशोगाथा तयार करणेसाठी इ. साठी) | - | संख्या | १ | ५.०० |
| एकूण आर्थिक | | | | | २४२.५० |

# प्रपत्र -३

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- भात पिक प्रात्यक्षिके क्लस्टर आधारीत व प्रकल्पाअंर्तगत राबवावयाचा बाबनिहाय जिल्हानिहाय एकूण कार्यक्रम -२०१२-१३

रक्कम रु. लाखात

| अ. क्र. | जिल्हा | पिक प्रात्यक्षिके क्लस्टर आधारीत प्रकल्प | | | | | | पिक प्रात्यक्षिके विरहीत प्रकल्प कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | एकुण आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सघन/श्री भात पिक प्रात्यक्षिके (१०० हे गटासाठी) प्रकल्प | | संकरीत भात पिक प्रात्यक्षिके (१०० हे गटासाठी) प्रकल्प | | एकुण पिक प्रात्यक्षिके | | प्रकल्प अंर्तगत संकरित भात बियाणे वितरण | | प्रकल्पा अंर्तगत सुधारीत भात बियाणे वितरण (वाण बदल) | | प्रकल्पा अंर्तगत सूक्ष्म मूलद्रव्ये | | प्रकल्प अंर्तगत कोनोविडर व इतर औजारांचे वाटप | | प्रकल्प अंर्तगत नॅपसॅक स्प्रेअर | | प्रकल्प अंर्तगत पंपसेट | | प्रकल्प अंर्तगत शेतकरी प्रशिक्षण | | एकुण प्रकल्प कार्यक्रम | |
| | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | आर्थिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २२ | २३ |
| १ | नाशिक | ३ | २२.५० | ३ | २२.५० | ६ | ४५.०० | १९.०० | ०.३८ | ६२७ | ३.१४ | १७१० | ८.५५ | १९० | ५.७० | १९० | ५.७० | १९० | १९.०० | १९ | २.६६ | ४५.१३ | ९०.१३ |
| २ | पुणे | ३ | २२.५० | २ | १५.०० | ५ | ३७.५० | २४.०० | ०.४८ | ७९२ | ३.९६ | २१६० | १०.८० | २४० | ७.२० | २४० | ७.२० | २४० | २४.०० | २४ | ३.३६ | ५७.०० | ९४.५० |
| ३ | भंडारा | ९ | ६७.५० | ५ | ३७.५० | १४ | १०५.०० | ६६.०० | १.३२ | २१७८ | १०.८९ | ५९४० | २९.७० | ६६० | १९.८० | ६६० | १९.८० | ६६० | ६६.०० | ६६ | ९.२४ | १५६.७५ | २६१.७५ |
| ४ | गोंदिया | ८ | ६०.०० | ५ | ३७.५० | १३ | ९७.५० | ६८.०० | १.३६ | २२४४ | ११.२२ | ६१२० | ३०.६० | ६८० | २०.४० | ६८० | २०.४० | ६८० | ६८.०० | ६८ | ९.५२ | १६१.५० | २५९.०० |
| ५ | चंद्रपूर | ७ | ५२.५० | ४ | ३०.०० | ११ | ८२.५० | ५५.०० | १.१० | १८१५ | ९.०८ | ४९५० | २४.७५ | ५५० | १६.५० | ५५० | १६.५० | ५५० | ५५.०० | ५५ | ७.७० | १३०.६३ | २१३.१३ |
| ६ | गडचिरोली | ७ | ५२.५० | ४ | ३०.०० | ११ | ८२.५० | ५६.०० | १.१२ | १८४८ | ९.२४ | ५०४० | २५.२० | ५६० | १६.८० | ५६० | १६.८० | ५६० | ५६.०० | ५६ | ७.८४ | १३३.०० | २१५.५० |
| एकूण | | **३७** | **२७७.५०** | **२३** | **१७२.५०** | **६०** | **४५०.००** | **२८८.००** | **५.७६** | **९५०४** | **४७.५२** | **२५९२०** | **१२९.६०** | **२८८०** | **८६.४०** | **२८८०** | **८६.४०** | **२८८०** | **२८८.००** | **२८८** | **४०.३२** | **६८४.००** | **११३४.००** |

www.mahaagri.gov.in

## प्रपत्र -४

### राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात - प्रकल्पाबाहेरील राबवावयाचा बाबनिहाय जिल्हानिहाय एकूण कार्यक्रम -२०१२-१३

रक्कम रु. लाखात

| अ. क्र. | जिल्हा | प्रकल्पा बाहेर संकरित भात बियाणे वितरण | | प्रकल्पा बाहेरील सुधारीत भात बियाणे वितरण (वाण बदल) | | प्रकल्पा बाहेर सूक्ष्म मूलद्रव्ये | | प्रकल्पाबाहेर कोनोविडर व इतर औजारांचे वाटप | | प्रकल्पाबाहेर नॅपसॅक स्प्रेअर | | प्रकल्पा बाहेर पंपसेट | | प्रकल्पा बाहेर मल्टी क्रॉप प्लँटर (राईस) | | प्रकल्पा बाहेर पाभर | | प्रकल्पा बाहेर पॉवर विडर (ब्रश,कटर व इतर औजारे) | | प्रकल्पा बाहेर लेझर लँड लेव्हलर | | प्रकल्पा बाहेर पिक संरक्षण | | प्रकल्पा बाहेर नाविन्यपुर्ण बाब | | प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च जिल्हा स्तर | एकुण आर्थिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | आर्थिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ |
| १ | नाशिक | १७.१४ | ०.३४ | ४४८७ | २२.४४ | ११३९ | ५.७० | १० | ०.३० | ५७६ | १७.२८ | ३१८ | ३१.८० | १० | १.५० | ८ | १.२० | ८ | १.२० | १ | १.५० | ४०४३ | २०.२२ | ० | ०.०० | ६.३६ | १०९.८३ |
| २ | पुणे | १६.०० | ०.३२ | ४१८१ | २०.९१ | १०६१ | ५.३१ | ९ | ०.२७ | ५३६ | १६.०८ | २९६ | २९.६० | ९ | १.३५ | ७ | १.०५ | ७ | १.०५ | १ | १.५० | ३७६८ | १८.८४ | ० | ०.०० | ६.३६ | १०२.६३ |
| ३ | भंडारा | ४७.९९ | ०.९६ | १२५६४ | ६२.८२ | ३१८८ | १५.९४ | २७ | ०.८१ | १६१२ | ४८.३६ | ८९० | ८९.०० | २७ | ४.०५ | २३ | ३.४५ | २३ | ३.४५ | १ | १.५० | ११३१९ | ५६.६० | ० | ०.०० | ६.३६ | २९३.२९ |
| ४ | गोंदिया | ४७.८८ | ०.९६ | १२५३६ | ६२.६८ | ३१८० | १५.९० | २७ | ०.८१ | १६०८ | ४८.२४ | ८८८ | ८८.८० | २७ | ४.०५ | २३ | ३.४५ | २३ | ३.४५ | १ | १.५० | ११२९४ | ५६.४७ | ० | ०.०० | ६.३६ | २९२.६७ |
| ५ | चंद्रपूर | ४२.२१ | ०.८४ | ११०४९ | ५५.२५ | २८०३ | १४.०२ | २४ | ०.७२ | १४१८ | ४२.५४ | ७८२ | ७८.२० | २४ | ३.६० | २० | ३.०० | २० | ३.०० | १ | १.५० | ९९५५ | ४९.७८ | ० | ०.०० | ६.३६ | २५८.८० |
| ६ | गडचिरोली | ४०.७९ | ०.८२ | १०६७९ | ५३.४० | २७०९ | १३.५५ | २३ | ०.६९ | १३७० | ४१.१० | ७५६ | ७५.६० | २३ | ३.४५ | १९.०० | २.८५ | १९.०० | २.८५ | १ | १.५० | ९६२१ | ४८.११ | ० | ०.०० | ६.३६ | २५०.२६ |
| राज्यस्तर | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | २००.०० | १३.८७ | २१३.८७ |
| **एकूण** | | **२१२.०१** | **४.२४** | **५५४९६** | **२७७.४८** | **१४०८०** | **७०.४०** | **१२०** | **३.६०** | **७१२०** | **२१३.६०** | **३९३०** | **३९३.००** | **१२०** | **१८.००** | **१००** | **१५.००** | **१००** | **१५.००** | **६.००** | **९.००** | **५००००** | **२५०.००** | **०** | **२००.००** | **५२.०३** | **१५२१.३५** |

www.mahaagri.gov.in

# प्रपत्र-५

## राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान- भात कार्यक्रम २०१२-१३

रक्कम रु. लाख

| अ.क्र. | बाब | अर्थ सहाय्याचा दर | परिमाण | लक्षांक २०१२-१३ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | भौतीक | आर्थिक |
| १ | सुधारित भात पिक प्रात्यक्षिके | रु. ७५००/- प्रति प्रात्यक्षिके | संख्या | ३७०० | २७७.५० |
| २ | सघन भात तंत्रज्ञान पिक प्रात्यक्षिके | रु. ७५००/- प्रति प्रात्यक्षिके | संख्या | २३०० | १७२.५०० |
| ३ | संकरीत भात बियाणे वितरण | रु. २०००/- प्रति क्विंटल | क्विंटल | ५०० | १०.०० |
| ४ | सुधारीत बियाणे वितरण (वाण बदल) | रु. ५००/- प्रति क्विंटल | क्विंटल | ६५००० | ३२५.०० |
| ५ | भात पिकात सूक्ष्म मूलद्रव्याचा वापर | रु. ५००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ४०००० | २००.०० |
| ६ | रासायनिक व जैविक कीटकनाशकांचे वाटप | रु. ५००/- प्रति हेक्टर | हेक्टर | ५०००० | २५०.०० |
| ७ | यांत्रिकीकरणाअंतर्गत कोनोविडर व इतर औजारांचे वाटप | रु. ३०००/- प्रति यंत्र | संख्या | ३००० | ९०.०० |
| ८ | नॅपसॅक (फवारणी यंत्र) | रु. ३०००/- प्रति यंत्र | संख्या | १०००० | ३००.०० |
| ९ | भात लावणी यंत्र (पॅडी ट्रान्सप्लॅन्टर) | रु. १५०००/- प्रति यंत्र | संख्या | १२० | १८.०० |
| १० | पाभर | रु. १५०००/- प्रति यंत्र | संख्या | १०० | १५.०० |
| ११ | पॉवर विडर (ब्रश, कटर व अनुषंगिक साहित्य) | रु. १५०००/- प्रति यंत्र | संख्या | १०० | १५.०० |
| १२ | लेझर लॅंड लेव्हलर | रु. १५०००/- प्रति यंत्र | संख्या | ६ | ९.०० |
| १३ | पंपसेट | रु. १००००/- प्रति पंपसेट | संख्या | ६८१० | ६८१.०० |
| १४ | शेतकरी प्रशिक्षण | रु. १४०००/- प्रति प्रशिक्षण | संख्या | २८८ | ४०.३२ |
| १५ | संकीर्ण खर्च | | | | |
| | अ) जिल्हा स्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन | रु ६.३६ प्रति जिल्हा | जिल्हा संख्या | ६ | ३८.१६ |
| | ब) राज्य स्तरीय प्रकल्प व्यवस्थापन | रु. १३.८७ लाख राज्य स्तरावर | | १ | १३.८७ |
| १६ | नाविन्यपुर्ण बाब | | | | २००.०० |
| | एकूण आर्थिक | | | | २६५५.३५ |

www.mahaagri.gov.in

# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात - बाबनिहाय जिल्हानिहाय राबवावयाचा एकूण कार्यक्रम -२०१२-१३

रक्कम रु. लाखात

| अ. क्र | जिल्हा | पिक प्रात्यक्षिके प्रकल्प | | | | | | पिक प्रात्यक्षिके विरहीत कार्यक्रम | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सघन/टोकन भात पिक प्रात्यक्षिके (१०० हे. गटामध्ये) | | संकरीत भात पिक प्रात्यक्षिके (१०० हे. गटामध्ये) | | एकुण | | संकरीत भात बियाणे वितरण | | | | | | सुधारीत भात बियाणे वितरण | | | | | |
| | | | | | | | | प्रकल्प अंर्तगत | | प्रकल्पा बाहेर | | एकुण बियाणे वितरण | | प्रकल्पा अंर्तगत | | प्रकल्पा बाहेर | | एकुण बियाणे वितरण | |
| | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १४ | १५ | १६ | १७ | १८ | १९ | २० |
| १ | नाशिक | ३ | २२.५० | ३ | २२.५० | ६ | ४५.०० | १९ | ०.३८ | १७ | ०.३४ | ३६ | ०.७२ | ६२७ | ३.१४ | ४४८७ | २२.४४ | ५११४ | २५.५७ |
| २ | पुणे | ३ | २२.५० | २ | १५.०० | ५ | ३७.५० | २४ | ०.४८ | १६ | ०.३२ | ४० | ०.८० | ७९२ | ३.९६ | ४१८१ | २०.९१ | ४९७३ | २४.८७ |
| ३ | भंडारा | ९ | ६७.५० | ५ | ३७.५० | १४ | १०५.०० | ६६ | १.३२ | ४८ | ०.९६ | ११४ | २.२८ | २१७८ | १०.८९ | १२५६४ | ६२.८२ | १४७४२ | ७३.७१ |
| ४ | गोंदिया | ८ | ६०.०० | ५ | ३७.५० | १३ | ९७.५० | ६८ | १.३६ | ४८ | ०.९६ | ११६ | २.३२ | २२४४ | ११.२२ | १२५३६ | ६२.६८ | १४७८० | ७३.९० |
| ५ | चंद्रपूर | ७ | ५२.५० | ४ | ३०.०० | ११ | ८२.५० | ५५ | १.१० | ४२ | ०.८४ | ९७ | १.९४ | १८१५ | ९.०८ | ११०४९ | ५५.२५ | १२८६४ | ६४.३२ |
| ६ | गडचिरोली | ७ | ५२.५० | ४ | ३०.०० | ११ | ८२.५० | ५६ | १.१२ | ४१ | ०.८२ | ९७ | १.९४ | १८४८ | ९.२४ | १०६७९ | ५३.४० | १२५२७ | ६२.६४ |
| राज्यस्तर | | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| **एकूण** | | **३७** | **२७७.५०** | **२३** | **१७२.५०** | **६०** | **४५०.००** | **२८८** | **५.७६** | **२१२** | **४.२४** | **५००** | **१०.००** | **९५०४** | **४७.५२** | **५५४९६** | **२७७.४८** | **६५०००** | **३२५.००** |

www.mahaagri.gov.in

# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात - बाबनिहाय जिल्हानिहाय राबवावयाचा एकूण कार्यक्रम -२०१२-१३

रक्कम रु. लाखात

| अ. क्र | जिल्हा | पिक प्रात्यक्षिका बाहेरील कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | सूक्ष्म मूलद्रव्ये वितरण | | | | | | कोनोविडर व इतर औजारे | | | | | | नॅपसॅक स्प्रेअर | | | | | |
| | | प्रकल्पा अंर्तगत | | प्रकल्पा बाहेर | | एकुण | | प्रकल्प अंर्तगत | | प्रकल्पाबाहेर | | एकुण वाटप | | प्रकल्प अंर्तगत | | प्रकल्पाबाहेर | | एकुण | |
| | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक |
| १ | २ | २१ | २२ | २३ | २४ | २५ | २६ | २७ | २८ | २९ | ३० | ३१ | ३२ | ३३ | ३४ | ३५ | ३६ | ३७ | ३८ |
| १ | नाशिक | १७१० | ८.५५ | ११३९ | ५.७० | २८४९ | १४.२५ | १९० | ५.७० | १० | ०.३० | २०० | ६.०० | १९० | ५.७० | ५७६ | १७.२८ | ७६६ | २२.९८ |
| २ | पुणे | २१६० | १०.८० | १०६१ | ५.३१ | ३२२१ | १६.११ | २४० | ७.२० | ९ | ०.२७ | २४९ | ७.४७ | २४० | ७.२० | ५३६ | १६.०८ | ७७६ | २३.२८ |
| ३ | भंडारा | ५९४० | २९.७० | ३१८८ | १५.९४ | ९१२८ | ४५.६४ | ६६० | १९.८० | २७ | ०.८१ | ६८७ | २०.६१ | ६६० | १९.८० | १६१२ | ४८.३६ | २२७२ | ६८.१६ |
| ४ | गोंदिया | ६१२० | ३०.६० | ३१८० | १५.९० | ९३०० | ४६.५० | ६८० | २०.४० | २७ | ०.८१ | ७०७ | २१.२१ | ६८० | २०.४० | १६०८ | ४८.२४ | २२८८ | ६८.६४ |
| ५ | चंद्रपूर | ४९५० | २४.७५ | २८०३ | १४.०२ | ७७५३ | ३८.७७ | ५५० | १६.५० | २४ | ०.७२ | ५७४ | १७.२२ | ५५० | १६.५० | १४१८ | ४२.५४ | १९६८ | ५९.०४ |
| ६ | गडचिरोली | ५०४० | २५.२० | २७०९ | १३.५५ | ७७४९ | ३८.७५ | ५६० | १६.८० | २३ | ०.६९ | ५८३ | १७.४९ | ५६० | १६.८० | १३७० | ४१.१० | १९३० | ५७.९० |
| राज्यस्तर | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण | | **२५९२०** | **१२९.६०** | **१४०८०** | **७०.४०** | **४००००** | **२००.००** | **२८८०** | **८६.४०** | **१२०** | **३.६०** | **३०००** | **९०.००** | **२८८०** | **८६.४०** | **७१२०** | **२१३.६०** | **१००००** | **३००.००** |

www.mahaagri.gov.in

# राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान - भात - बाबनिहाय जिल्हानिहाय राबवावयाचा एकूण कार्यक्रम -२०१२-१३

रक्कम रु. लाखात

| अ. क्र | जिल्हा | पिक प्रात्यक्षिक विरहीत कार्यक्रम | | | | | | | | | | | | | | | | पिक | प्रकल्पाअंर्तगत कार्यक्रम | | प्रकल्पा बाहेर कार्यक्रम | एकुण कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | पंपसेट | | | | | | शेतकरी प्रशिक्षण | | भात लावणी यंत्र | | पाभर | | पॉवर विडर (ब्रश,कटर व इतर अनुषंगिक साहित्य) | | लेझर लँड लेव्हलर | | प्रकल्प व्यवस्थापन खर्च जिल्हा स्तर | पिक प्रात्यक्षिक आधारीत प्रकल्प | पिक प्रात्यक्षिक विरहीत प्रकल्प | | |
| | | प्रकल्प अंर्तगत | | प्रकल्पा बाहेर | | एकुण | | प्रकल्प अंर्तगत | | प्रकल्पा बाहेर | | प्रकल्पा बाहेर | | प्रकल्पा बाहेर | | प्रकल्पा बाहेर | | प्रकल्पा बाहेर | | | | |
| | | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | भौतिक | आर्थिक | आर्थिक | आर्थिक | आर्थिक | आर्थिक | आर्थिक |
| १ | २ | ३९ | ४० | ४१ | ४२ | ४३ | ४४ | ४५ | ४६ | ४७ | ४८ | ४९ | ५० | ५१ | ५२ | ५३ | ५४ | ५८ | ६० | ६१ | ६२ | ६३ |
| १ | नाशिक | १९० | १९.०० | ३१८ | ३१.८० | ५०८ | ५०.८० | १९ | २.६६ | १० | १.५० | ८ | १.२० | ८ | १.२० | १ | १.५० | ६.३६ | ४५.०० | ४५.१३ | १०९.८३ | १९९.९५ |
| २ | पुणे | २४० | २४.०० | २९६ | २९.६० | ५३६ | ५३.६० | २४ | ३.३६ | ९ | १.३५ | ७ | १.०५ | ७ | १.०५ | १ | १.५० | ६.३६ | ३७.५० | ५७.०० | १०२.६३ | १९७.१३ |
| ३ | भंडारा | ६६० | ६६.०० | ८९० | ८९.०० | १५५० | १५५.०० | ६६ | ९.२४ | २७ | ४.०५ | २३ | ३.४५ | २३ | ३.४५ | १ | १.५० | ६.३६ | १०५.०० | १५६.७५ | २९३.२९ | ५५५.०५ |
| ४ | गोंदिया | ६८० | ६८.०० | ८८८ | ८८.८० | १५६८ | १५६.८० | ६८ | ९.५२ | २७ | ४.०५ | २३ | ३.४५ | २३ | ३.४५ | १ | १.५० | ६.३६ | ९७.५० | १६१.५० | २९२.६७ | ५५१.६७ |
| ५ | चंद्रपूर | ५५० | ५५.०० | ७८२ | ७८.२० | १३३२ | १३३.२० | ५५ | ७.७० | २४ | ३.६० | २० | ३.०० | २० | ३.०० | १ | १.५० | ६.३६ | ८२.५० | १३०.६३ | २५८.८० | ४७१.९२ |
| ६ | गडचिरोली | ५६० | ५६.०० | ७५६ | ७५.६० | १३१६ | १३१.६० | ५६ | ७.८४ | २३ | ३.४५ | १९.०० | २.८५ | १९.०० | २.८५ | १ | १.५० | ६.३६ | ८२.५० | १३३.०० | २५०.२६ | ४६५.७७ |
| राज्यस्तर | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | **१३.८७** | ०.०० | ०.०० | २१३.८७ | २१३.८७ |
| **एकूण** | | **२८८०** | **२८८.००** | **३९३०** | **३९३.००** | **६८१०** | **६८१.००** | **२८८** | **४०.३२** | **१२०** | **१८.००** | **१००** | **१५.००** | **१००** | **१५.००** | **६.००** | **९.००** | **५२.०३** | **४५०.००** | **६८४.००** | **१५२१.३५** | **२६५५.३५** |

www.mahaagri.gov.in